# राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर

## कोर्स रिपोर्ट

## ‘‘साइबर क्राईम एंड साइबर लॉ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर प्रोसिक्यूटर्स एंड ज्यूडिशियल ऑफिसर्स’’

Date 26-05-2023 to 28-05-2023, Course No. 11, Under CCPWC Scheme

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार मिनिस्ट्री ऑफ हॉम अफेयर्स द्वारा प्रायोजित सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत साइबर फॉरेन्सिक सह प्रशिक्षण लैब में ‘‘साइबर क्राईम एंड साइबर लॉ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर प्रोसिक्यूटर्स एंड ज्यूडिशियल ऑफिसर्स’’ विषय पर दिनांक 26-05-2023 से 28-05-2023 तक 3 दिवसीय कोर्स आयोजित किया गया।

उक्त कोर्स में मन विनोद शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक, आरपीए, जयपुर को सहायक कोर्स निदेशक नियुक्त किया गया । मेरे द्वारा कोर्स का सफल आयोजन करवाया गया। इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न न्यायालयों, पुलिस थानों से कुल 26 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें 14 न्यायिक अधिकारी, 10 अभियोजक अधिकारी व 01 उप अधीक्षक 01 पुलिस निरीक्षक स्तर स्तर के अधिकारी शामिल हुए।

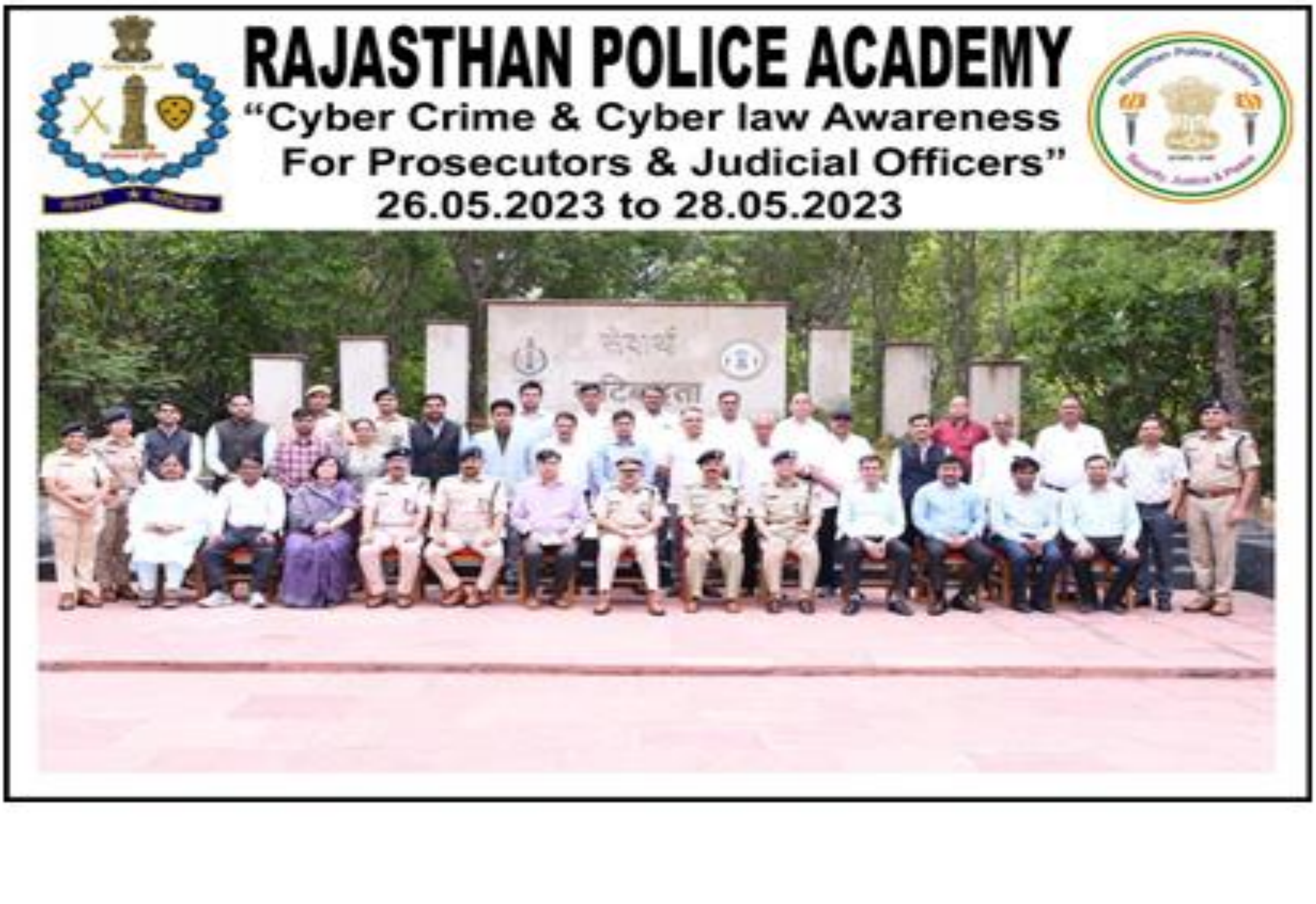

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ श्री  श्री शरत कविराज, महानिरीक्षक पुलिस, एस.सी.आर.बी., जयपुर द्वारा किया गया। महोदय द्वारा साइबर क्राईम के बढते अपराधों तथा उनके रोकथाम व जागरूकता के संबंध में उद्बोधन किया। प्रशिक्षण पूर्व सभी प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। साथ ही प्री कोर्स मूल्यांकन परीक्षा ली गयी।

प्रशिक्षण के प्रथम सत्र का आरंभ श्री मनोज रमन, जूनियर साइबर फोरेन्सिक कन्सलटेंट,आरपीए द्वारा साइबर अपराध परिप्रेक्ष्य में संचार उपकरणों, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, सेटेलाइट फोन व मोबाइल आदि से सम्बंधित मूल बातों  की जानकारी प्रदान की गयी,साथ ही हैण्ड्स ऑन सैशन करवाया गया । इसके बाद द्वितीय सत्र में सभी प्रतिभागियों को एफ.एस.एल जयपुर में ले जाया गया जहां पर श्री विश्वास भारद्वाज, सहायक निदेशक, कम्प्यूटर, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा डिजिटल साक्ष्य के महत्व व इनकी एसओपी और एक्सपोजर के सम्बंध में बताया साथ ही हैण्ड्स ऑन एक्सरसाइज भी करवायी गयी।

प्रशिक्षण के दूसरे दिवस प्रथम सत्र में श्री अरूण के बेरीवाल, विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस  न्यायालय कोटा के द्वारा साइबर अपराधों में आईटी अधिनियम, आईपीसी व भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि के कानूनी प्रावधानों को समझाया गया साथ ही इन्टरमिडियेटरी एवं विभिन्न नियमों की जानकारी प्रदान की गयी।  द्वितीय सत्र में श्री दीपक उपाध्याय, सहायक प्रोफेसर,  तकनीकी विश्वविद्यालय  गुजरात द्वारा सोशल मीडिया और ई-मेल से संबंधित अपराध की जांच, नवीनतम रुझान  की जानकारी प्रदान की गयी।

प्रशिक्षण के अंतिम दिन  श्री निशीथ दीक्षित, साइबर अर्टानी राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर द्वारा कानूनी ढांचे को समझना-आईटी अधिनियम, आईपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्व व ग्राहयता के साथ साइबर अपराधों में ट्रायल के दौरान आने वाली चुनौतियां एवं साइबर अपराध के मामलों एवं कानूनी प्रावधानों को समझाया गया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस दिनांक 28-05-2023 को 01.15 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल समस्त प्रतिभागियों से समग्र कोर्स का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया जाकर प्रशिक्षणोपरान्त सभी का पोस्ट प्रशिक्षण मूल्यांकन लिया गया। कोर्स के समापन-सत्र के कोर्स के समापन-सत्र के मुख्य अतिथि श्री उमेश चन्द्र दत्ता, महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेन्ज, जयपुर  रहे। जिनके द्वारा समापन उद्वोधन दिया जाकर  प्रशिक्षणार्थियों से कोर्स संबंधी फीडबैक लिया तथा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में श्री कैलाश चंद, उप महानिरीक्षक, आरपीए, जयपुर द्वारा मुख्य अतिथि व कोर्स के संचालन में सहभागियों एवं सम्पूर्ण प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

भवदीय

(विनोद शर्मा)
पुलिस उप अधीक्षक एवं
सहायक कोर्स निदेशक, (CCPWC)
आर.पी.ए. जयपुर